जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक मैसर्स कार्तिका मार्बल के खनन की कलस्टर मय खनन परियोजना, प्लॉट नं. 24 (एम.एल. न. 34/2022), क्षेत्रफल – 1.00256 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 97,104 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 5.13983 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 5,89,478 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम – सूरजगढ़, तहसील – रियांवडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेडता, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2023 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण:–

जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक:– न्याय/प्रदूषण/ ज.सु. 2023/4790 दिनांक: 10/8/2023 के अनुसार श्री गौरी शंकर शर्मा उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी, जिला नागौर की अनुपस्थिति के कारण श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का संचालन किया गया।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र कमांक/न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/3558 दिनांक 28.06. 2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र कमाक RPCB/RO NGR/PUB-176/751 दिनांक 3.07.2023 के अनुपालना में मैसर्स कार्तिका मार्बल ने प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) प्लॉट नं. 24 (एम.एल. न. 34/2022), क्षेत्रफल – 1.00256 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 97,104 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 5.13983 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 5,89,478 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम – सूरजगढ़, तहसील – रियांबडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 10.08.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रैस समाचार पत्र में दिनांक 7 जुलाई, 2023 (शुक्रवार) एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 8 जुलाई, 2023 (शनिवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियो को प्रस्तावित खनन् परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेष शर्मा के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियो एवं ग्रामवासियो/व्यक्तियो को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्षा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेषन मेप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विषेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपषिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होने बताया की खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपषिष्ट को अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपरण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानको के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासो से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर एवं श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में

उपस्थित लोगो को अपने विचार/आपत्ति, सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबधित उपस्थित जनसमुदाय में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये गये जो निम्न प्रकार है:–

श्री ब्रहम देव शर्मा, सरंपच प्रतिनिधि, आलनियावास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया की लीज धारक हमेशा वृक्षारोपण करते है लेकिन पेड–पौधो के लिए पानी की व्यवस्था एवं उनको जानवरो से बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय किये जाने चाहिए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षो के स्वस्थ विकास के लिए उचित बाड और पेडों की रखवाली के साथ आवधिक सफाई, खाद ओर पानी का ध्यान रखा जायेगा एवं इस हेतु बजट का प्रावधान भी दिया गया है।

श्री टीकम चन्द ग्राम आलनियावास ने कहा की परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय निवासियो को प्राथमिकता दी जाए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय लोगो को ही प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी निश्चित किया गया की स्थानीय निवासियो को ही रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री अंकित जाखड, सूरजगढ़ द्वारा बोला गया की इन परियोजनाओ के चलने से फसल को कोई हानी तो नही होगी।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना हेतु जो पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन किया गया है जिसमें की वायु, जल, ध्वनि एवं मृदा के नमूने लिए गये थे जिनके परिणाम तय मानको के अनुरूप ही पाये गए है तथा परियोजना में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण सरंक्षण के उपायो को विधिपूर्वक अपनाया जायेगा एवं खान से निकलने वाले खनिज के परिवहन के दौरान उपयोग होने वाले ट्रक/डम्पर इत्यादी को तिरपाल से ढक कर खनिज का परिवहन किया जाएगा व खान से निकलने वाले ओवरबर्डन को भी खान में ही निश्चित स्थान पर डाला

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

जाएगा व समय–समय पर आस पास के क्षेत्रो में मृदा के नमूनो का परिक्षण भी किया जाएगा।

विद्यालय के प्रधानाचार्य जी एवं ग्रामवासियों के द्वारा जन सुनवाई के दौरान अवगत करवाया गया कि विद्यालय का एक हॉल जर्जर अवस्था में है तथा श्री ब्रहम देव शर्मा, सरंपच प्रतिनिधि, आलनियावास ने श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर से आग्रह किया की गांव की स्कूलो के विकास हेतु खनन प्रतिनिधियो द्वारा सहयोग अपेक्षित है जिस पर जनसुनवाई में उपस्थित **मैसर्स कार्तिका मार्बल** के प्रतिनिधि **श्री सोहन लाल शर्मा** द्वारा मौके पर ही 51,000/– रूपये की सहयोग राशि स्कूल को भेट करने की घोषणा की गई साथ ही उन्होने यह आश्वस्त भी किया की भविष्य में भी वे इसी प्रकार से गांव के विकास के लिए सहयोग करते रहेगें। जिस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के प्रधानाचार्य द्वारा श्री सुनील कुमार जी का आभार व्यक्त किया गया व श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर ने भी इनका आभार व्यक्त किया व आगे भी इसी तरह गांव के विकास हेतु सहयोग की अपेक्षा की।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियो/व्यक्तियो का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री पूरण कुमार शानी,
उपखण्ड अधिकारी,
मेडता, जिला नागौर

Savita
श्रीमती सविता,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल,
नागौर

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स कार्तिका मार्बल, गांव–सूरजगढ़, तहसील – रियाबाडी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट प्लॉट नं. 24, एम.एल. न. 34/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 97,104 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 48,552 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 48,552 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 10.08.2023

समय :– सायं 2:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	PURAN KUMAR, SEO, [illegible]	8209770581	[signature]
2.	Savita, Regional officer, RSPCB, Nagaur	9983411222	Savita
3.	[illegible] Gaur, A-EO RSPCB, Nagaur	9549028647	Gaur
4.	Shiv dayal Godara (EIA RAE)	Vibrant Technolab PVT. LTD	शिवदयाल
5.	Umesh Kumar Sharma (EIA [illegible])	8905707098 Vibrant Technolab PVT. LTD	[signature]
6.	[illegible] Choudhary	7891610364	[signature]
7.	Sohanlal SHARMA	8104442538	[signature]
8.	अमर सिंह सुरजगढ़		
9.	[illegible] Ram	9982323362	[signature]
10.	[illegible]	[illegible]	[signature]
11.	Bhupesh Ajmer	9783281143	Bhupesh
12.	P. Singh	9414864997	[signature]
13.	[illegible]	7023641900	[signature]
14.	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	7568501216	[signature]

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स कार्तिका मार्बल, गांव–सूरजगढ़, तहसील – रियाबाडी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट प्लॉट नं 24, [illegible] नं 34 / 2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 97,104 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 48,552 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 48,552 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 10.08.2023

समय : - सायं 2:00 बजे से

16.	सुरेन्द्र कुमार	9660941065	[illegible]
17.	जगदीश सुरजगढ़	9636204998	[illegible]
18.	श्यामलाल सुरजगढ़	9461000454	[illegible]
19.	कालुराम	9587631441	[illegible]
20.	भेराराम	9772990062	[illegible]
21.	राहुल	7850866202	Rahu
22.	उम्मेद बोलिवाल	8949483157	[illegible]
23.	माणक राम	9351858437	[illegible]
24.	हरजीराम	9929191881	[illegible]
25.	रामलाल	636707758	[illegible]
26.	भेराराम	[illegible]	[illegible]
27.	Shiudam [illegible] Vibrant Tencho Labs Pvt Ltd.	7734995193	[illegible]
28.	Siddh Netwerl (Vibrant Techno Lab Pvt Ltd)	[illegible]	
29.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31.	[illegible]	[illegible]	

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स कार्तिका मार्बल, गांव–सूरजगढ, तहसील – रियाबाडी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट प्लॉट नं. 24, एम.एल. न. 34/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 97,104 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 48,552 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 48,552 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 10.08.2023

समय :– सायं 2:00 बजे से

32.	[illegible]		
33.	दिनेश चन्द	9829907740	[illegible]
34.	[illegible]	7014682062	[illegible]
35.	[illegible]	9772801077	[illegible]
36.	महेन्द्र कुमार	9772241324	महेन्द्र
37.	अनिल चौधरी	9829246114	अनिल [illegible]
38.	मोती खां	9828079676	मोती खां
39.	चैनाराम	9783015330	चैनाराम
40.	अलाउद्दीन (सरपंच प्रतिनिधि) आलनियावास	8209534731	[illegible]
41.	उमराव अली	9950378215	[illegible]
42.	रफीक मोहम्मद	8110064405	[illegible]
43.	रामेश्वर	9057299972	रामेश्वर
44.	Sampat Singh	9829106410	[illegible]
45.	Hemant Choudhary	9829049131	Hemant
46.	ओम प्रकाश [illegible]	9414116936	[illegible]
47.	Bharat [illegible]	9142602896	[illegible]

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

ांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-175/750 दिनांक: 03/07/23

र्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 36/2022, 19/2021, 04/2022 & 18/2021), कुल क्लस्टर क्षेत्र 5.28776 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 6,15,350 TPA(ROM)'' आवेदक श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह (M.L. NO. 36/2022), क्षेत्र- 1.15049 हेक्टेयर, खसरा न- 549, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,22,976 TPA(ROM) गांव-सूरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

और चुंकि श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, - संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। . क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, कों, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, सूरजगढ़। 10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रजगढ़, गाँव-सूरजगढ, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. 23/3544 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.2023 (गुरूवार) सांय 03:00 बजे, स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ, तहसील- रियांबड़ी, ा-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित ेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण त्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से न्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी धानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-176/756 दिनांक: 03/07/23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 34/2022, 19/2021, 04/2022 & 18/2021), कुल क्लस्टर क्षेत्र 5.13983 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,89,478 TPA(ROM)'' आवेदक श्री कार्तिका मार्बल (M.L. NO. 34/2022), क्षेत्र- 1.00256 हेक्टेयर, खसरा न- 549, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 97,104 TPA(ROM) गांव-सूरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चुंकि श्री कार्तिका मार्बल, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
   1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, सूरजगढ़। 10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु2023/3558 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.2023 (गुरूवार) को सांय 02:00 बजे, स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षेत्रीय अधिकारी

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

The Karur Vysya Bank Ltd.,
Asset Recovery Branch, No.6, 3rd Floor,
Opp: Metro Pillar No: 80, Pusa Road,
Karolbagh, New Delhi – 110005

Possession Notice (For Immovable Property)
ssued under Rule 8(1)] of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

hereas,

e undersigned being the Authorized officer of **THE KARUR VYSYA BANK LIMITED** der the Securitization & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of curity Interest (Second) Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers nferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) les, 2002 issued a demand notice dated **27.04.2023** calling upon the borrower **M/s. Kalpana Logistic Private Limited**, Having its registered office at: B-10/32 tomobile Nagar, Jaipur -302003, Rajasthan **(2) Mr. Shri Narain Sharma** R/o B – 18, xmi Narayan Puri Scheme, Suraj Pole Gate, Delhi Bye-Pass, Jaipur- 302 006 jasthan and **(3) Mr. Raghuveer Prasad Sharma,** R/o B – 18, Laxmi Narayan Puri heme, Suraj Pole Gate, Delhi Bye-Pass, Jaipur -302006, Rajasthan to repay the nount mentioned in the notice being **Rs.38,69,077.06 (Rupees Thirty Eight Lakhs xty Nine Thousand Seventy Seven and Paisa Six Only)** within 60 days from the te of receipt of the said notice.

e undersigned being the Authorized officer of **THE KARUR VYSYA BANK LIMITED** der the Securitization & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of curity Interest (Second) Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers nferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) les, 2002 issued a demand notice dated **27.04.2023** calling upon the borrower **(1) 's Kalpana Goods Transport Co.,** Per Prop: Mr. Shri Narayan Sharma, B-10/32, tomobile Nagar, Jaipur 302003, Rajasthan and **(2) Mr. Raghuveer Prasad Sharma, o Mr. Shri Narayan Sharma**, H.No: B-18, Laxmi Narayan Puri, Surajpole, Anajmandi, ipur 302001, Rajasthan to repay the amount mentioned in the notice being **.15,76,492.48 (Rupees Fifteen Lakh Seventy Six Thousand Four Hundred nety Two and Paisa Forty Eight only)** within 60 days from the date of receipt of the id notice.

e borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower d the public in general that the undersigned has taken possession of the property scribed herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of ction 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on s the **5th day of July of the year 2023.**

e borrower/ guarantor's in particular and the public in general is hereby cautioned not deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge **THE KARUR VYSYA BANK LIMITED** for an amount of **Rs.54,45,569.54 (Rupees fty Four Lakh Forty Five Thousand Five Hundred Sixty Nine and Paisa Fifty Four ly)** and interest thereon.

e borrower's/ guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 3 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

and and building at B-18, Laxmi Narayan Puri Scheme, Suraj Pole Gate, Anajmandi, elhi Bye-Pass Jaipur Rajasthan admeasuring 266.66 Sq. yds. standing in the name of r. Shri Narain Sharma and bounded by four sides as : **East : Plot No B-17, West : Plot o B-19, North : Road, South : Other Property**

Sd/-
lace : Jaipur
ate : 05.07.2023

Chief Manager & Authorized Officer
THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

Karnataka Bank Ltd. 100
Your Family Bank. Across India

Asset Recovery Management Branch
8-B,First Floor, Rajender Park,
Pusa Road
New Delhi-110 060

Phone : 011-40591567(Ext-240)
E-Mail : delhiarm@kbank.com
Website: www.karnatakabank.com
CIN : L85110KA1924PLC001128

SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged /charged to the secured Creditor, the **Symbolic Possession** of which has been taken by the Authorised Officer of Karnataka Bank Ltd the Secured Creditor on **29.04.2023**, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" on **17.08.2023**, for recovery of **Rs.60,86,876.17 (Rupees Sixty lakhs Eighty Six Thousand Eight Hundred Seventy Six and paise Seventeen only) i.e. (i) Rs.45,94,029.25** Under PSTL A/c **No. 3717001800002101** along with future interest from **26.06.2023 (ii) Rs.14,92,846.92** Under PSTL A/c **No. 3717001800002201** along with future interest from **26.06.2023** due to the **Karnataka Bank Limited, Jaipur-Vaishali Nagar Branch,** C-13, Ground Floor, Vaishali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur,Rajasthan-302021,the Secured creditor from **(1) M/s Chitransh Traders** Represented by its proprietor **Mr. Nitin Mathur** addressed at, Plot No.10, Sharma Colony Near Mangal Munch Nandpuri, Jaipur-302006 **(2) Mr. Nitin Mathur** S/o Mr. Ishwar Lal Mathur, **(3) Mrs. Aditi Mathur** W/o Mr. Nitin Mathur, **(4) Mrs. Suman Mathur** W/o Mr. Ishwar Lal Mathur, **All (2), (3) and (4) are addressed at,** Flat No.101, F-40, Rimsha Apartment, Nandpuri, Sharma Colony, Ajmer Road, Jaipur-302006,being borrowers/ guarantors/ co – obligants.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY:

All that part & parcel of leasehold residential property Flat No.101, First Floor in building known as 'Rimsha Enclave' constructed Plot No.F-40, at Nandapuri–F scheme, located at Swej farm, Sodala, Jaipur having built up area 996.96 Sq. Ft. with right to use common areas in building and undivided proportionate share in land area of 307.66 Sq. Yrds, **Belonging to Mr.Nitin Mathur & Mrs. Suman Mathur. Boundaries: East :** Plot No.F-39 **West :** Plot No.F-40-A **North :** 30'-0" Wide Road **South :** Plot No. F-39-A

Reserve Price / Upset Price below which the property may not be sold: Rs.59,46,000.00 (Rupees Fifty Nine Lakh Forty Six Thousand only.)

Earnest money to be deposited /tendered: Rs.5,94,600.00 (Rupees Five Lakhs Ninety Four Thousand Six Hundred Only)

(The borrower's / mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset).

(This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (6) of Rule (8) of Security Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors)

For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website ie., www.karnatakabank.com under the head "Mortgage Assets For Sale".

The E-auction will be conducted through portal **https://bankauctions.in/ on 17.08.2023 from 11:30 A.M to 12:30 P.M** with unlimited extension of 05 minutes. The intending bidder is required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user Id and password free of cost and get *online training on E-auction (tentatively on **16.08.2023**) from* M/s.4closure, 605A, 6th Floor, Maitrivanam, Ameerpet, Hyderabad-500038, **contact No.040-23836405, mobile 8142000809, E-mail:** info@bankauctions.in.

Date : 06.07.2023
Place : Jaipur

For Karnataka Bank Ltd
Sd/- Chief Manager & Authorised Officer